अध्याय – 7

मैनुअल – 6

जयपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जयपुर डिस्कॉम से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

अंशधारक–

जयपुर डिस्कॉम की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गयी है। वर्तमान में इसकी अधिकृत अंश पूंजी 2000 करोड़ रुपये है। जयपुर डिस्कॉम की समस्त अंश पूंजी राजस्थान सरकार के पास तथा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के पास है। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पास केवल 10–10 रुपये का एक अंश है। अतः व्यवहारिक रूप से जयपुर डिस्कॉम की सारी अंश पूंजी राजस्थान सरकार में ही निहित है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत अंशधारकों को जो शक्तियां प्रदत्त हैं उनके अनुसार ही अंशधारकों की साधारण सभा कार्य करती है। अंशधारकों की साधारण सभा के द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया जाता है तथा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। वार्षिक खातों को अंतिम रूप से अंशधारकों की सभा द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। यदि लाभांश की घोषणा की जानी है तो उसके सम्बन्ध में भी अंशधारकों की सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इनके अतिरिक्त जो विषय निदेशक मण्डल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन विषयों पर अंशधारकों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

निदेशक मण्डल–

जयपुर डिस्कॉम का संचालन कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके निदेशक मण्डल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है।

कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल की कार्यशक्तियां निर्धारित की गयी हैं जिनके अनुसार निदेशक मण्डल की बैठकों में निर्णय लिये जाते हैं।

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे ।

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ जयपुर
संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) नाम एवं पता	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंर्तगत पंजीकृत
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)	जविविनिलि की स्थापना 19.07.2000 को की गई। निगम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक को बिजली उपलब्ध कराना और गांव का विद्युतीकरण करना तथा वोल्टेज रेग्यूलेशन बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य करना जिससे उत्तम गुणवत्ता की बिजली आम उपभोक्ता को उपलब्ध करायी जा सकें तथा विद्युत संबंधी आवेदन करने पर उपभोक्ता को विद्युत संबंध प्रदान करना ।
संबद्ध संस्था को भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)	प्रबन्ध कारिणी

वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक	1. श्री शैलेन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. श्री आनन्द जोशी– निदेशक (वित्त) 3. श्री एन. के. पांडे निदेशक(तकनिकी)
मुख्य अधिकारी का नाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर
मुख्य कार्यलय का पता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत भवन, जनपथ जयपुर
बैठक की आवृति	कम्पनी एक्ट के तहत
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नंही
क्या बैठक के कार्यवृत(Minutes) तैयार को जाती है?	हां
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें	हां, सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम के अनुसार

■■